# गंगोत्री–कालिन्दीखाल–बद्रीनाथ ट्रैकिंग रूट पर लापता पश्चिम बंगाल के ट्रैकिंग दल की खोज एवं शव प्राप्ति अभियान–2011

साहसिक पर्यटन के रूप में देश के विभिन्न प्रान्तों व विदेशों से ट्रैकिंग दलों का जनपद उत्तरकाशी में आगमन होता रहा है, जो ऊंची–ऊंची चोटियों में पर्वतारोहण भी करते है। अधिकांश ट्रैकिंग दल गंगोत्री–कालिन्दीखाल–बद्रीनाथ ट्रैकिंग रूट इनर लाईन परमिट के लिए आवेदन करते है। कालिन्दीखाल ट्रैक गंगोत्री क्षेत्र में विश्व विख्यात होने के साथ साहसिक पर्यटन की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस ट्रैक पर ब्रिटिशकाल से देश–विदेश से ट्रैकिंग दल प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की तादात में आते है। चूंकि इस ट्रैक में विभिन्न पड़ाव काफी ऊचांई व ग्लेशियर होने से अति कठिनाईयों के साथ मौसम के खराब होने व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी से विगत वर्षो में कतिपय ट्रैकिंग दलों के मार्ग में फंसने के मामले प्रकाश में आये है। जिनमें कई बार ट्रैकर्स, गाईड, पोटर्स की मृत्यु भी हुयी है। ट्रैकिंग दलों की मांग पर स्थानीय स्तर पर ट्रैकिंग ऐजेन्सी द्वारा उन्हें गाईड एवं पोटर्स उपलब्ध कराये जाते है। सामान्यतः आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने पर ट्रैकर्स एवं उनके गाईड/पोटर्स को इनर लाईन परमिट निर्गत किया जाता है। वर्ष 2010 के सितम्बर माह में पश्चिम बंगाल के एक 08 सदस्यीय दल की गाईड/पोटर्स सहित बासुकीताल–सुन्दर ग्लेश्यिर क्षेत्र में अत्यधिक बर्फबारी व मौसम खराब होने के कारण मृत्यु हो गयी।

कालिन्दी ट्रैक में उक्त बासुकीताल–सुन्दर ग्लेशियर क्षेत्र जो गंगोत्री से लगभग 35 किमी0 पैदल उबड–खाबड व ग्लेशियर क्षेत्र है तथा उक्त क्षेत्र की समुद्र तल से ऊचांई 17300 फीट लगभग है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 290(अ0) दिनांक 27.06.1974, अधिसूचना संख्या 175 दिनांक 09.04.1999 व अधिसूचना संख्या 265(अ0) दिनांक 09.04.1999 के द्वारा उक्त ट्रैक को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिनमें भारत की सीमा के उत्तरकाशी जिले की तहसील भटवाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल है। परन्तु उक्त अधिसूचित क्षेत्र (इनर लाईन) का मानचित्र उपलब्ध नही है। जिससें अधिसूचित क्षेत्र की वास्तविक सीमाओं की जानकारी नही हो पाती है तथा शासन स्तर से भी ट्रैकिंग के लिए अधिसूचित क्षेत्र में अनुमति निर्गत करने हेतु कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नही है। वर्ष 2010 में हुयी यह दुर्घटना के खोज एवं राहत हेतु किये गये प्रयासों के दृष्टिगत उक्त अभियान सराहनीय रहा है

दिनांक 09.09.2010 से 21.09.2010 तक गंगोत्री–कालिन्दीखाल–बद्रीनाथ ट्रैकिंग रूट हेतु श्री एन0 प्रसाद राव पुत्र श्री एन0 रामा राव, हावडा, परिश्चम बंगाल के नेतृत्व में अन्य 07 पश्चिम बंगाल के सदस्यों सहित जिला प्रशासन, उत्तरकाशी द्वारा इनर लाईन परमिट की अनुमति प्रदान की गयी। यह अनुमति इनर लाईन में प्रवेश की भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो सहित दल द्वारा किसी दुर्घटना के लिए स्वंय की जिम्मेदारी पर दी जाती है। उक्त दल स्थानीय ट्रैकिंग ऐजेन्सी लाई–लाई ट्रैक एण्ड टूर के माध्यम 01 स्थानीय गाईड व 08 पोटर्स सहित दिनांक 09.09.2010 को ट्रैकिंग पर गये तथा दल का आई0टी0बी0पी0 (जनपद चमोली) में दिनांक 21.09.2010 को गन्तव्य तक पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित था।

परन्तु टूर कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री सागर तमांग एंव दल के डिप्टी लीडर श्री सुदीप्ता मित्रा द्वारा दिनांक 21.09.2010 को जिला प्रशासन को सूचित किया गया कि उक्त दल के 05 सदस्य व 04 पोटर्स स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 16.09.2010 को वासुकीताल से वापस गंगोत्री लौट आये व शेष 03 पश्चिम बंगाल के सदस्यों सहित 01 स्थानीय गाईड व 04 पोटर्स जो वासुकीताल से खड़ा पत्थर होते हुये बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन निर्धारित तिथि तक बद्रीनाथ नही पहुंच सके है। उनके द्वारा सम्भवतः उक्त शेष सदस्यों के खराब मौसम व बर्फबारी होने के कारण सीता ग्लेशियर के आप–पास फंसे होने की आंशका व्यक्त की गयी।

लापता ट्रैकिंग दल के सदस्यों की खोजबीन हेतु ट्रैकिंग ऐजेन्सी के प्रबन्धन निदेशक एंव दल के डिप्टी लीडर द्वारा अनुरोध किया गया साथ ही श्री भास्कर खुल्वे, स्थानीय आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पत्रांक 1159–RcWB/G–5/10 दिनांक 22.09.2010 व निजी सचिव मा0 रेल मंत्री भारत संरकार के पत्र MR/VIP/535/2010 दिनांक 23.10.2010 द्वारा भी जिला प्रशासन उत्तरकाशी से लापता ट्रैकर्स के खोज–बचाव हेतु अनुरोध किया गया। जिला प्रशासन द्वारा उक्त सूचना से आपदा प्रबन्धन केन्द्र,

उत्तरकाशी, प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी तथा पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को अवगत कराया गया और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिगेडियर एन0वी0 चन्द्रन (बी0एस0एम0, एस0एम0) कमाण्डर, 9 माउन्टेन ब्रिगेड 56–ए0पी0ओ0 को भी हैलीकॉप्टर द्वारा रेस्क्यू दल भेजने का अनुरोध किया गया, सम्पूर्ण प्रकरण से शासन को अवगत कराते हुये अतिवर्षा होने पर जगह–जगह सम्पर्क मार्ग अवरूद्व होने के कारण खोजबीन हेतु हैलीकॉप्टर द्वारा खोज दल भिजवाने का आग्रह किया गया।

दूसरी तरफ दिनांक 23.09.2010 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (N.I.M.) उत्तरकाशी से 02 प्रशिक्षकों के नेतृत्व में 13 सदस्यीय दल जिसमें 07 स्थानीय ट्रैकर्स, 02 पुलिस कर्मी एवं 02 वन विभाग के कर्मी थें, को भी लापता दल की खोजबीन हेतु भेजा गया। बचाव दल द्वारा खड़ा पत्थर, सीता ग्लेशियर तक फंसे हुये ट्रैकिंग दल की खोजबीन की गयी परन्तु कोई निशान न मिलने पर दल 30.09.2010 की सांय वापस उत्तरकाशी पहुंच गया, जिलाधिकारी चमोली द्वारा भी उक्त फंसे दल की खोजबीन के प्रयास किये गये, आई0टी0बी0पी0 द्वारा भी तीन चार बार इस हेतु प्रयास किये गये परन्तु फिर भी उक्त फंसे हुए दल की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। जिला प्रशासन के अनुरोध पर डी0एम0एम0सी0 देहरादून के द्वारा भी 02 हैलीकॉप्टरों द्वारा 26.09.2010 को पश्चिम बंगाल के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के साथ रैकी की गई, इसके अतिरिक्त 25 व 26 सितम्बर, 2010 को सेना के 02 हैलिकॉप्टरों द्वारा भी फंसे दल को खोजने का प्रयास किया गया, परन्तु उन्हें भी सफलता नही मिल पायी।

दिनांक 03.10.2010 को उत्तरकाशी ट्रैकिंग एसोसोशियन के निर्देशन में 11 सदस्यीय बचाव दल भी उक्त लापता ट्रैकर्सो की खोजबीन हेतु भेजा गया। परन्तु उक्त बचाव दल द्वारा भी लापता ट्रैकर्सो की कोई सूचना नही मिल पायी। तत्पश्चात माह जून 2011 में पुनः हावडा माउण्टनियर्स एण्ड ट्रैकर्स एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल द्वारा एक खोजी अभियान दल भेजा गया। उक्त दल को स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उचित सहयोग प्रदान किया गया परन्तु फिर भी सफलता प्राप्त नही हो पायी।

इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल सरकार, क्षेत्रीय विधायक, हावड़ा डिस्ट्रिक माउन्टेनियर्स एण्ड ट्रैकर्स एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल एंव स्थानीय लापता ट्रैकर्स के परिजनों द्वारा भी बार–बार पत्राचार के द्वारा लापता ट्रैकिंग दल की खोजबीन हेतु अनुरोध किया गया। उप स्थानिक आयुक्त, पश्चिश्म बंगाल सरकार के पत्र संख्या 71–BRCWB/G–5/2011 दिनांक 11 जुलाई, 2011 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त लापता दल के शवों को कालिन्दी ट्रैक पर देखा गया है, तथा उक्त शवों को लाने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हावड़ा डिस्ट्रिक माउन्टेनर्स एण्ड ट्रैकर्स एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल के 04 सदस्यों, श्री प्रसन्नजीत सामन्ता, श्री रॉबिन बैनर्जी, श्री सुदीप्त मित्रा व श्री उत्पल सेन को जिला प्रशासन से समन्वय हेतु ट्रैकर्स की खोज के लिए अग्रिम धनराशि 40,000.00 के साथ भेजा गया। यद्यपि उप स्थानिक आयुक्त, पश्चिश्म बंगाल सरकार श्री उल्लास चटोपाध्याय द्वारा दूरभाष पर जिलाधिकारी को शवों को तलाशने के लिए समुचित सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12 व 13 जुलाई, 2011 को सुनियोजित कार्यनीति तैयार करते हुये दिनांक 12.07.2011 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी, जिसमें स्थानीय लापता गाईड/पोटर्स के परिजनों, पश्चिम बंगाल के नामित प्रतिनिधियों एवं उनके द्वारा चयनित ट्रैकिंग ऐजेन्सी के प्रतिनिधियों, उपजिलाधिकारी भटवाड़ी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जिला साहसिक खेल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी एंव वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त लापता ट्रैकर्स की खोज हेतु एक खोजी दल कालिन्दी ट्रैक पर वासुकीताल–सुन्दर ग्लेशियर क्षेत्र में भेजी जाय। जिसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल सरकार के नामित सदस्यों की सहमति पर उनके द्वारा चयनित ट्रैकिंग ऐजेन्सी व पोटर्स एवं गाईड की सत्यापित दरों पर दिनांक 14.07.2011 को प्रातः स्थानीय ट्रैकिंग ऐजेन्सियों मै0 शिव शनि स्पाइडर ट्रैक एण्ड टूर एवं स्नो स्पाइडर ट्रैक एण्ड टूर, उत्तरकाशी के संयुक्त सहयोग से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (N.I.M.) के 02 प्रशिक्षकों (श्री खुशाल सिंह राणा, टीम लीडर व नायब सुबेदार, प्रकाश भट्ट) के नेतृत्व में 02 पश्चिम बंगाल के सदस्यों (श्री प्रसन्नजीत सामन्ता व श्री रॉबिन बैनर्जी) सहित 15 सदस्यीय खोजी दल सैटेलाईट फोन, जी0पी0एस0 आदि उपकरणों के साथ उक्त लापता दल की खोज हेतु भेजा गया। साथ ही शवों की अविलम्ब ड्रेसिंग करते हुऐ दल को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना सेटेलाईट

फोन द्वारा जिलाधिकारी को नियमित रूप से देते रहें। इस सम्बन्ध में शासन को पत्र संख्या मेमों/तेरह–48(2009–10) दिनांक 12 जुलाई, 2011 के माध्यम से अवगत कराया गया तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 13.07.2011 को उक्त हेतु अनुमति प्राप्त की गयी। शासन से उक्त हेतु हैलीकॉप्टर के लिए अनुरोध भी किया गया, जिससें पैदल भेजे जाने वाले दल को सक्रिय सहयोग मिल सके। इस सम्बन्ध में व भारत तिब्बत सीमा पुलिस (I.T.B.P.) से भी सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

घटना की स्थिति व समय को देखते हुये ट्रैकर्स के शवों को व्यवस्थित रूप से लाने हेतु दिनांक 15.07.2011 को 05 सदस्यों को उचित सामग्री के साथ रवाना किया गया। भेजे गये खोजी दल द्वारा दिनांक 17.07.2011 को अपराह्न 1:00 बजे सेटेलाईट फोन द्वारा लापता ट्रैकर्स के 08 शवों को वासुकीताल से लगभग 1.5 किमी0 दूर सुन्दरनाला क्षेत्र में क्षत–विछत स्थिति में पाये जाने की सूचना प्राप्त हुयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि हैलीकॉप्टर द्वारा उक्त शवों को लाना उचित व सुविधाजनक होगा। परन्तु शासन द्वारा दिनांक 17.7.2011 की सांय को मौसम प्रतिकूल होने के कारण उक्त क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेजने में असमर्थता व्यक्त की गई लेकिन इससे पूर्व इस स्थिति हेतु उचित तैयारी के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा समस्त रिकवरी कार्य मानव संसाधन से किये जाने हेतु सुनियोजित कार्यनीति विकल्प के रूप में तैयार की जा चुकी थी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 18.07.2011 को प्रातः 52 अतिरिक्त प्रशिक्षित युवक एंव हाई अल्टीटूयूट पोटर्स को शवों को लाने हेतु रवाना किया गया। प्रथम दल द्वारा शवों के बरामदगी की सूचना पर जिला प्रशासन द्वारा उक्त शवों के सम्बन्धित औपचारिकताओं एवं अन्तिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गयी तथा मृतकों के परिजनों को भी इस सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया। इसके अतिरिक्त अभियान दल को किसी प्रकार की असुविधा व दुर्घटना के दृष्टिगत भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 17 सदस्यीय सहयोगी दल को भी भेजा गया।

दिनांक 21.07.2011 को समस्त 08 मृतक ट्रैकर्स के शवों के प्रातः गंगोत्री लाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर शवों को व्यवस्थित रूप से उत्तरकाशी लाने हेतु 08 ताबूत गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश चौकी पर राजस्व व पुलिस बल के साथ भेजे गये तथा गंगोत्री में शवों को लाने हेतु शव वाहन की व्यवस्था भी की गयी। शवों के सांय 6:45 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचने पर पुलिस व राजस्व विभाग की उपस्थिति में शवों का पंचनामा व मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नेतृत्व में चिकित्सा दल द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति पर उसी समय पोस्टमार्टम की कार्यवाही करते हुये मृतकों के परिजनों को मौके पर ही पोस्टमार्टम रिर्पोट तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान की उपस्थिति में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र दिये गये। पश्चिम बंगाल के मृतकों के परिजनों द्वारा शवों के दाह संस्कार की कार्यवाही उसी रात्रि किये जाने के अनुरोध पर 03 शवों के अन्तिम संस्कार हेतु जिला प्रशासन द्वारा समस्त व्यवस्थायें करते हुये दाह संस्कार किया गया। स्थानीय 03 मृतकों एवं नेपाली मूल के 02 शवों का अन्तिम संस्कार दिनांक 22.07.2011 के पूर्वाह्न में किया गया।

मृत ट्रैकर्स के शवों के साथ उनकी व्यक्तिगत सामग्री एवं ट्रैकिंग हेतु प्रयुक्त होने वाले उपकरण निम्नानुसार बरामद हुये, जिसमें से उनके व्यक्तिगत सामग्री को उनके परिजनों को तथा अन्य उपकरणों को डिस्ट्रिक माउन्टेनियर्स एण्ड ट्रैकर्स एसोसियेशन, पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को उत्तरकाशी में निम्नानुसार सुपुर्द किया गया।

## बरामद व्यक्तिगत सामग्री सूची–

| क्र. सं. | मृतक का नाम | सामग्री | संख्या | प्राप्तकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर/मृतक से सम्बन्ध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रसाद राव | दस्तावेज फाईल | 01 | |
| | | फोन चार्जर | 01 | |
| | | रिमोट | 01 | |
| | | हाथ घड़ी | 01 | |
| | | नोट बुक | 01 | |
| | | नगद धनराशि | 4,174.00 रू0 | |
| 2 | अनल दास | कैमरा (निकोन) | 01 | |
| | | कैमरा चीप | 02 | |
| | | चार्जर | 02 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | हैडलाईट | 01 | |
| | | गेटर्स | 01 जोडा | |
| | | नगद धनराशि | 12,200.00 रू0 | |
| 3 | डॉ0 अरूण अदक | हाथ घडी | 01 | |
| | | मोबाईल (सैमसंग) | 01 | |
| | | पहचान पत्र | 01 | |
| | | वोटर कार्ड | 01 | |
| | | कैमरा बैटरी | 01 | |
| | | कैमरा (निकोन) | 01 | |
| | | चार्जर | 01 | |
| | | रेलवे टिकट | 01 | |

## बरामद उपकरणाों की सूची–

| क्र.सं. | सामग्री | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जुमार | 02 |
| 2 | कैराविनर | 08 |
| 3 | रॉक पिटन | 04 |
| 4 | आईस पिटन | 03 |
| 5 | हैडलाईट | 02 |
| 6 | गेटर्स | 06 जोडी |
| 7 | टैन्ट | 01 |
| 8 | आईस हैमर | 01 |
| 9 | आईसएक्स | 02 |
| 10 | बूट क्लाइमिंग | 02 जोडी |
| 11 | वाकिग स्टीक | 01 |
| 12 | नेशनल झंडा | 01 |

प्रमुख सचिव, पर्यटन से हुयी दूरभाष वार्ता के क्रम में इस अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा सम्मानित/पुरूष्कृत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। साथ ही अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा दूरभाष से अवगत कराया गया है कि प्रमुख स्थानिक आयुक्त, पश्चिम बंगाल द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को इस प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रशस्ति–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

उपरोक्त सम्पूर्ण अभियान जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन में किया गया तथा इस कार्य में श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी तथा श्री खुशाल सिंह नेगी, जिला साहसिक खेल अधिकारी (पर्यटन विभाग) द्वारा प्रारम्भ से नियमित रूप से जिलाधिकारी के सम्पर्क में रहकर सम्पूर्ण समन्वय कार्य किया गया, जिससे अभियान को सफलता प्राप्त हो सकी। इनके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी भटवाडी श्री चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, तत्कालीन तहसीलदार भटवाड़ी श्री गौरव चटवाल, नायब तहसीलदार भटवाड़ी श्री रणवीर सिंह चौहान, राजस्व निरीक्षक, जोशियाडा, श्री रमेश प्रकाश बहुगुणा, राजस्व उपनिरीक्षक मुखवा श्री जय प्रकाश साह तथा राजस्व उपनिरीक्षक तेखला श्री धीरेन्द्र सिंह कुमांई द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। शवों के पोस्टमार्टम व अन्य औपचारिक कार्य हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 मंयक उपाध्याय व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 आर0पी0 सिंह सहित इनके चिकित्सकीय दल द्वारा भी सराहनीय कार्य किया गया। उक्त शवों को लाने हेतु अभियान का जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन के तहत कुशल संचालन करते हुये शवों के खोज, बरामदगी करते हुए उत्तरकाशी लाकर अन्तिम संस्कार कार्य को पूर्ण किया गया। अभियान को सुनियोजित ढंग से सफल बनाते हुये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 11.08.2011 को देहरादून में सम्मान–पत्र प्रदान करते हुए नगद धनराशी से छः अधिकारी/कर्मियों को पुरूष्कृत किया गया।

जिला प्रशासन के इस कार्य का समस्त मृतकों परिजनों/क्षेत्रवासियों/जनप्रतिनिधियों/मीडिया /उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूरी–भूरी प्रशंसा की गयी है।

## इनर लाईन परमिट निर्गत करने की प्रक्रिया–

जनपद में इनर लाईन परमिट उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी द्वारा जारी किये जाते हे। इनर लाईन परमिट निर्गत किये जाने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी देते हुये उप जिलाधिकारी भटवाड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि इनर लाईन परमिट निर्गत करने के कोई स्पष्ठ मानक नही है। इनर लाईन क्षेत्र में जाने वाले पर्यटकों की सुविधा हेत ट्रैकिंग दलों को स्थानीय ट्रैकिंग एजेन्सियां गाईड/पोटर्स आदि उपलब्ध कराती है। तहसील भटवाड़ी के अर्न्तगत पड़ने वाले इनर लाईन क्षेत्रों में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र से प्रवेश किया जाता है। स्थानीय स्तर पर निर्धारित वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार इच्छुक ट्रैकर्स सर्वप्रथम स्थानीय ट्रैकिंग ऐजेन्सियों के माध्यम से उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी से पार्क क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करते है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित ट्रैकिंग ऐजेन्सी के माध्यम से इनर लाईन क्षेत्र में जाने वाले ट्रैकर्स/गाईड/पोटर्स आदि के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप भरकर उप जिलाधिकारी कार्यालय भटवाड़ी प्रस्तुत किये जाते है। उप जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी से ट्रैकर्स आदि के चाल–चलन से सम्बन्धित जांच आदेश पारित करने के बाद पुलिस जांच आख्या ट्रैकर्स/गाईड आदि के स्वस्थता सम्बन्धी चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र, ट्रैकर्स के पहचान सम्बन्धी उपयुक्त प्रमाण एंव पर्यटन विभाग में ट्रैकिंग दल के पंजीकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने पर इनर लाईन परमिट निर्गत किये जाते है। अधिकांश आवेदन गंगोत्री–कालिन्दीखाल–बद्रीनाथ ट्रैकिंग रूट के लिए प्राप्त होते है। उप जिलाधिकारी भटवाड़ी के स्तर से ट्रैकिंग दल सदस्यों आदि की सूची के साथ ट्रैकिंग अवधि की सूचना जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी, चमोली एवं कमाडेण्ट, 8 वी0 वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गौचर जिला चमोली को दी जाती है।

## ट्रैकिंग को दुर्घटनाओं रहित बनाये जाने हेतु सुझाव–

उप जिलाधिकारी भटवाड़ी द्वारा परमिट निर्गत करने के समय सामान्यतः मौसम आदि की स्थिति को ध्यान में रखते हुये ही परमिट निर्गत किये जाते है तथा प्रायः ट्रैकिंग दल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षित अपने गन्तव्य पर पहुंच जाते है, लेकिन अचानक मौसम की खराबी व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से विगत में कतिपय मामले ट्रैकिंग दलों के मार्ग में फंसने से सम्बन्धित प्रकाश में आये है, जिनमें कुछ पोटर्स आदि की मृत्यु भी हुयी है। घसतोली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जोशीमठ की एक चौकी स्थित है, जहां पर उक्त ट्रैकिंग रूट पर जाने वाले ट्रैकर्स आदि की अनुमति की जांच की जाती है। घसतोली तक पहुंचने वाले ट्रैकिंग दलों को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा राहत/मदद पहुंचायी जाती है, लेकिन गौमुख से घसतोली के बीच दूर संचार आदि की कोई व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र में फंसने वाले दलों के बचाव हेतु समय से कार्यवाही नही की जा सकती है, क्योंकि इन दलों से किसी प्रकार का सम्पर्क नही हो पाता है।

**संचार व्यवस्था–** ट्रैकिंग दलों से समन्वय हेतु उचित होगा कि प्रत्येक दल के साथ एक G.P.S.Tracker दिया जाय, जिससें कि दल की प्रति दिन की अवस्थिति की जानकारी मिल सके। इसकी निगरानी का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान/आपदा प्रबन्धन केन्द्र के माध्यम से किया जाय, ताकि किसी विपरीत परिस्थिति में दल की अवस्थिति के अनुसार राहत एंव बचाव कार्य कराये जा सकें। यह भी सुझाव दिया गया कि दूर संचार निगम द्वारा संचालित डी0एस0पी0टी0/पी0पी0टी0 फोन मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क/गढ़वाल मण्डल विकास निगम/पुलिस/भारत तिब्बत सीमा पुलिस की प्रमुख चौकियों पर स्थापित किये जायें।

**मौसम की जानकारी–** चूंकि कालिन्दीखाल ट्रकिंग कार्यक्रम सामान्यतः 15 से 20 दिन की अवधि का होता है तथा इतनी अवधि की मौसम सम्बन्धी पूर्व जानकारी प्राप्त करने की जनपद में कोई व्यवस्था नही है। उचित होगा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा संचालित या उससे सम्बन्ध कई पर्वतारोही दलों का ट्रकिंग सीजन के दौरान गंगोत्री क्षेत्र में स्थित विभिन्न शिखरों के आरोहण का कार्यक्रम चलता रहता है, जिनसे तत्कालिक मौसम की जानकारी मिल सकती है। अतः मौसम की तात्कालिक जानकारी के साथ–साथ सम्बन्धित ट्रैकिंग ऐजेन्सी के संचालकों/गाईड आदि के ऊंचाई वाले क्षेत्र से सम्बन्धित अनुभव, उनके पास उपलब्ध ट्रैकिंग/बचाव उपकरणों आदि की जानकारी नेहरू पर्वतरोहण संस्थान से प्राप्त कर

परमिट निर्गत करते समय अन्य बातों के साथ–साथ उक्त के सम्बन्ध में भी समुचित विचार किये जाने की आवश्यकता है।

**ट्रैकर्स/पोटर्स का बीमा–** विषम भौगोलिक परिस्थितियों में ट्रैकर्स/पोटर्स आदि के साथ घटित होने वाली दुर्घटनाओं के लिए प्रभावित व्यक्ति/उनके परिजनों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से ट्रैकिंग पर जाने वाले प्रत्येक सदस्य/पोटर्स का बीमा करवाया जाना उचित होगा तथा ट्रैकिंग ऐजेन्सी पर यह दायित्व सौंपा जाना आवश्यक है कि वह ट्रैकिंग पर जाने वाले प्रत्येक सदस्य/गाईड/पोटर्स आदि का निश्चित धनराशि का सामुहिक बीमा कराया जाय।

**गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में जाने वाले पर्यटकों को दी जाने वाली अनुमति–** उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी द्वारा राष्ट्रीय पार्क मे प्रवेश की अनुमति दी जाती है, जिसकी सूचना आपदा प्रबन्धन विभाग, जिला/पुलिस प्रशासन को दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में सयम–समय घटित होने वाली किसी घटना के सम्बन्ध में जब उच्च स्तर से सूचना चाहें जाने पर स्थानीय प्रशासन के वास्तुस्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण स्थानीय प्रशासन की छवि धूमिल होती है।

**बचाव एंव राहत कार्य–** विषम भौगोलिक परिस्थितियों में ट्रैकिंग दल के राहत एंव बचाव हेतु शीघ्रातिशीघ्र घटना स्थल पर पहुंचने के सम्बन्ध में गंगोत्री एंव गंगोत्री से आगे स्थित वन विभाग, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, पुलिस विभाग की चौकियों/केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों को आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र के माध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य हेतु नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण दिलाया जाना उचित होगा, ताकि सूचना प्राप्त होते ही इन विभागों के अधिकारी/कर्मचारी तत्काल राहत हेतु अपेक्षित स्थल की ओर रवाना हो सकें। इससे सामान्य परिरिस्थतियों मे उत्तरकाशी से गंगोत्री तक पहुंचने में लगने वाले एक दिन के समय की बचत हो होगी ही, उत्तरकाशी–गंगोत्री के बीच मोटर मार्ग अवरूद्व होने की दशा में गंगोत्री तक पहुंचने की समस्या का भी समाधान हो जायेगा।

## अन्य सुझाव–

1. गोमुख में वन विभाग एंव पुलिस की संयुक्त चौकी गठित की जानी अतिआवश्यक हे जिससें कि गंगोत्री–कालिन्दी ट्रैक रूट में जाने वाले पर्यटक/यात्रियों पर निगरानी रखी जा सकें।

2. गंगोत्री–कालिन्दी ट्रैक रूट पर जाने वाले यात्रियों को गहन स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त ही आगे जाने की अनुमति प्रदान करनी उचित होगी।

3. गंगोत्री क्षेत्र में कई स्थान पर्वतारोहण के लिए चिन्हित है, पर्वतरोहरण के लिए आई0एम0एफ0 की संस्तुति के उपरान्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। पर्वतारोहराण दल द्वारा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को दी जाय।

4. गंगोत्री क्षेत्र के पोटर्स के रजिस्ट्रेशन का दायित्व वन विभाग को दिया जाना उचित होगा क्योंकि यह क्षेत्र गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अर्न्तगत आता है एवं वन विभाग एक नियंत्रक इकाई के रूप में यहां कार्य कर सकता है।

5. इस क्षेत्र में कार्यरत सभी पोटर्स को पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग को निर्देशित किया जाना भी उचित होाग। इस कार्य से जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहयोग मिलेगा।

6. पर्यटन विभाग द्वारा जनपद में कार्यरत पर्वतारोहण/ ट्रैकिंग से सम्बन्धित संस्थाओं का पंजीकरण किया जाना उचित होगा। साथ ही पोटर्स एवं गाईड का ट्रैकिंग एंव राहत–बचाव हेतु मानदेय की दरें निर्धारित की जाये।

7. यह संस्थायें पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो। इन संस्थाओं की मान्यता हेतु शासन स्तर से ही दिशा–निर्देश दिये जाने उचित होगें तदोपरान्त केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही ट्रैकिंग कार्य संचालित किये जाये। संस्थाओं की मान्यता दिये जाने के समय स्थानीय संस्थाओं को पंजीकरण हेतु प्राथमिकता दिया जाना उचित होगा जिससें की स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजगार उपल्बध हो सकें।

8. गौमुख स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र को शासन स्तर से यह निर्देश निर्गत किये जाने उचित होगें कि प्रतिदिन मौसम सम्बन्धी सूचनायें अनिवार्य रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को उपलब्ध करायी जाय जिससें मौसम की जानकारियों को यात्रियों/पर्यटकों को बताया जा सकें।

9. पर्वतारोहण अभियान–संतोपंथ, शिवलिंग आदि की अनुमति आई0एम0एफ0 द्वारा प्रदान की जाती है एंव उचित होगा कि इन अभियानों की अनुमति प्रदान किये जाने के समय जिला प्रशासन, उत्तरकाशी से भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाय जिससें कि पर्वतारोहरण दलों की स्पष्ठ सूचना जिला प्रशासन, उत्तरकाशी के पास उपलब्ध हों।